Government of India
Indian Audit and Accounts Department
Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh, Shimla-171003

भारत सरकार
भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003

पत्र सं0:-हकदारी/ले0प0/भा0द0गृ0न0छु0रि0या0/2023/696-97

दिनांक:-03/11/2023

कार्यालय आदेश

प्राय: यह देखने में आया है कि भारत दर्शन /गृह नगर छुटटी रियायत दावों को भरते समय प्रार्थी नियमों की जानकारी के अभाव में अपने दावों में कई प्रकार की विसंगतीयां सहित दावा भरकर हकदारी अनुभाग को प्रेषित करतें हैं, जिसकेचलते दावों को पारित करने में अनावश्यक विलम्ब व गणना त्रूटियां रहजाती हैं। अत: नियमों की जानकारी हेतु निम्न कुछ दर्शाऐ गए है।

1. भारत दर्शन/गृह नगर छुटटी रियायत का लाभ उठाने हेतु सभी इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को इसकी सूचना यात्रा से 15 दिन पूर्व हकदारी अनुभाग को प्रेषित करनी होगी। ऐसा ना करने पर यदि कर्मचारी की सूचना सक्षम अधिकारी द्वारा अस्वीकत की जाती है, तो वह दावा रद माना जाएगा तथा यात्रा का भुगतान देय नहीं होगा।
2. भारत दर्शन छुटटी रियायत के लिए अधिकारी/कर्मचारी को सूचना में गंतंब्य स्थल को दर्शाना अनिर्वाय है। यदि यात्रा गन्तब्य स्थल तक नहीं की जाती है,तो उनका दावा मान्य नहीं होगा।
3. सूचना में दर्शाए गए गन्तब्य स्थल में यदि कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना हकदारी अनुभाग में यात्रा से पहले देनी अनिवार्य है। हवाई यात्रा करने पर मूल बोर्डिगं पास (Original Boarding Pass)लगाना आवश्यक है।
4. प्रार्थी को यात्रा का वास्तविक प्रमाण जैसे की रेलटिकट (टिकट संख्या सहित)देना अनिवार्य है जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि वास्तव में यात्रा की गइ या नहीं। हवाई यात्रा की टिकट को बुक करवातें समय सभी प्रार्थियों से आग्रह किया जाता है कि जिस भी slot मे यात्रा की गई हो उसमें दर्शाई गई सभी हवाई यात्रा की दरों की सूची अपने दावों में संलग्न करें। अन्यथ इसके अभाव में हवाई यात्रा का स्वंय हकदारी अनुभाग गणना करने के उपरान्त अदायगी करेगा
5. गृह नगर छुटटी रियायत दावों में प्राय: यह देखा गया है कि प्रार्थी केवल एक तरफ का टिकट ही की सलंगन करता है परन्तु दूसरी तरफ की यात्रा को निजीवाहन, प्राईवेटवाहन, मुफ्त यात्रा या टिकट गुम होने के करणों के साथ प्रस्तुत करता हैजोकि मान्य नहीं है, छुटटी रियायत दावों में आवागमन का सम्पूर्ण टिकट संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा दावा मान्य नहीं होगा।
6. जो भी प्रार्थी अग्रिम प्राप्त करता है, उसे अपनी यात्रा अग्रिम स्वीकृत होने से 30 दिन के भीतर आरम्भ करनी होगी, अन्यथा यह अग्रिम पूर्ण रूप से वापिस वसूला जाएगा। रेल यात्रा हेतु अग्रिम यात्रा की तिथि से 125 दिन (4 महिने 5 दिन) पहले दिया जाएगा। अग्रिम प्राप्त होने के 10 दिनों केभीतर रेल/बस की टिकट हकदारी अनुभाग में देनी होगी।
7. जिन दावों में अग्रिम का भुगतान किया गया हैउनका यात्रा दावा यात्रा के समाप्ति के 1 महीने के भीतर तथा अन्य यात्रा दावा तीन महीने के भीतर हकदारी अनुभाग में प्राप्त होने चाहिए, इसके अभाव में दावा स्वंय खारिज/अमान्य माना जाएगा।
8. हवाई यात्रा करने के सम्बन्ध में यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि से पूर्व हवाई यात्रा की टिकटें बुक करवाना सुनिशिचत करें ताकि रियायती दर पर टिकटें प्राप्त हो सके।

03/11/23

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
हकदारी अनुभाग

प्राधिकार:- उप-महालेखाकार (प्रशासन)/ले0प0/हकदारी/भा0द0ग्र0न0छु0रि0यात्रा/2023 248 दिनांक 03/11/2023

1 कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को e-mail द्वारा सुचित किया जा रहा है।
2 ए सीरीज फाईल

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
हकदारी अनुभाग